

दिनांक - 2/2019

आज दिनांक 26/6/19 को पत्रावली पेश हुई।
अभिभावक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य
वहिष्कार किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही
नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में
व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पुर्वानुसार
दिनांक 6/8/19 को पेश होगी

6/8/19 पत्रावली पेश हुई। वकील डा. श्री
उपस्थित नहीं। पत्रावली वास्तव
उचित अदेश आगामी पेश दिनांक
28/8/19 को पेश होगी

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

28/8/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची अनुपस्थित।
मूलवाद अदम हाजरी मसमवेती में खारिज
किया जा चुका है। प्राथम अस्थान निषेधाज्ञा
मूलवाद का ही आग्रह है, इसलिए प्राथम
को चलाने जाने का कोई भविष्य नहीं है।
प्राची का प्राथम अस्थान निषेधाज्ञा
मूलवाद के अडवटन में अदम हाजरी
अदम वेत्ती में खारिज किया जा चुका है।
निर्णय आज दिनांक 28/8/19 को लिखाया
जाकर दूरे इजलास भुजाया गया। पत्रावली
केवल शुभारंभ होकर ही निकलने का
होकर वापस लौटता है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

